संसद में सत्तापक्ष और विपक्ष के सांसदों ने किया प्रदर्शन

नई दिल्ली, (भाषा)। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और विपक्षी इंडिया गठबंधन के सदस्य बृहस्पतिवार को संसद के मकर द्वार के निकट प्रदर्शन करते हुए आमने-सामने आ गए और उन्होंने पुरजोर नारेबाजी की। सत्तापक्ष ने जहां झारखंड में नौकरी के अभ्यर्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर वहीं, विपक्ष ने अयोध्या में राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया तथा एक-दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। राजग सांसदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जवाब देने की मांग की और आरोप लगाया कि वह देशभर में छात्रों के प्रदर्शनों पर बहस से भाग रहे है। वहीं, इंडिया गठबंधन के सांसदों ने पेपर लीक के खिलाफ 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस ज्यादती को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाबदेही की मांग की। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने अयोध्या स्थित राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी का मुद्दा भी उठाया। आमने-सामने आने से पहले राजग और इंडिया गठबंधन के सांसदों ने अलग-अलग प्रदर्शन किया। राजग सांसद मकर द्वार की सीढ़ियों पर बैठे और राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने उन पर झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। तख्तियां लिए विपक्षी सांसद संसद के मकर द्वार के सामने खड़े हुए और अमित शाह माफी मांगो, चंदा चोर, गद्दी छोड़ और चंदा चोर, कहां मिलेंगे, भाजपा के दफ्तर में जैसे नारे लगाए। इंडिया गठबंधन के सांसद करीब तीन सप्ताह से संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। वे सदन में गृह मंत्री शाह की मौजूदगी तथा उनके बयान की मांग कर रहे थे।

मानसून सत्र के दौरान संसद परिसर में कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा, केसी वेणुगोपाल एवं अन्य विपक्षी विरोध प्रदर्शन करते हुए। (एएनआई)

राहुल संसद में चर्चा से बचते है, विदेश की धरती पर राजनीतिक बयान देते है : प्रह्नाद जोशी

नई दिल्ली, (भाषा)। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्नाद जोशी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर संसदीय संस्थाओं की लगातार उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि वह सदन में सार्थक चर्चा से बार-बार बचते है तथा विदेश की धरती पर राजनीतिक बयान देना पसंद करते है। जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे पर चर्चा और गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग की थी, जिस पर सरकार सहमत भी हो गई थी, लेकिन विपक्ष ने पीछे हटने का विकल्प चुना। जोशी ने एक्स पर कहा, कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की संसदीय संस्थाओं के प्रति लगातार उपेक्षा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मानसून सत्र में व्यवधान उस व्यक्ति के अहंकार को दर्शाता है, जो संसद में सार्थक बहस से बार-बार बचता है और विदेश की धरती पर राजनीतिक बयान देना पसंद करता है। उन्होंने कहा, 95 बार जनता द्वारा नकारे जाने के बावजूद कांग्रेस नेता अपनी बार-बार की विफलताओं से सीखने को तैयार नहीं दिखते। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के आचरण को निंदनीय और संसदीय लोकतंत्र के साथ कुठाराघात बताया। मंत्री ने कहा, कांग्रेस ने चर्चा और गृह मंत्री के बयान की मांग की थी और सरकार इस पर सहमत हो गई। लेकिन जब अवसर आया, तो जिस व्यक्ति ने इसकी मांग की थी, उसी ने पीछे हटने का विकल्प चुना।

कोलकाता के सरकारी अस्पताल में एक नर्स मृत मिली

कोलकाता, (भाषा)। कोलकाता के नीलरतन सरकार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 30 वर्षीय एक नर्स मृत मिली। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, नर्स बुधवार रात अस्पताल की विशेष निगरानी इकाई में ड्यूटी पर थी। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच के मुताबिक, वह रात करीब आठ बजे ड्यूटी पर आई थी और रात करीब साढ़े 10 बजे स्त्री रोग विभाग भवन के प्रसव-पूर्व वार्ड स्थित कर्मचारी के लिए बने शौचालय में गई थी। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, जब वह काफी देर तक नहीं लौटी, तो उसके सहकर्मियों ने जाकर देखा और शौचालय का दरवाजा अंदर से बंद था। बार-बार खटखटाने के बाद भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उनमें से दो लोगों ने दरवाजा तोड़ा और देखा कि वह फर्श पर अचेत अवस्था में पड़ी थी।

उन्होंने बताया कि नर्स की जांच के लिए डॉक्टर को बुलाया गया, जिन्होंने बाद में उसे मृत घोषित कर दिया। अधिकारी ने कहा कि घटना की सूचना मिलने के बाद एंटाली थाने के कर्मी और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट जांच दल के अधिकारी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में शरीर पर चोट के कोई प्रत्यक्ष निशान नहीं मिले है और न ही कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है। उन्होंने कहा, हमें संदेह है कि टीके के जरिए एनेस्थेटिक दवा की अत्यधिक मात्रा में लेने से संभवत: नर्स की मौत हुई होगी। हालांकि, हमारी टीम सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही हैं।

आप छोड़ी क्योंकि बात नहीं सुनी जा रही थी : हरभजन

नई दिल्ली, (भाषा)। क्रिकेटर से नेता बने हरभजन सिंह ने कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) छोड़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने का फैसला इसलिए किया, क्योंकि वह आप में अपनी बात न सुने जाने से हताश थे। उन्होंने कहा कि पंजाब में नशे की बढ़ती समस्या को लेकर आप को बहुत से सवालों के जवाब देने है।

हरभजन ने यहां पीटीआई मुख्यालय में दिए गए पॉडकास्ट साक्षात्कार में आप छोड़ने के फैसले के बाद जालंधर स्थित उनके आवास के बाहर हुए जबरदस्त विरोध-प्रदर्शन के बारे में भी बात की। आप ने हरभजन को 2022 में राज्यसभा भेजा था। हालांकि, इस साल अप्रैल में उन्होंने पार्टी के छह अन्य नेताओं के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। हरभजन ने कहा, जब (पंजाब के मुख्यमंत्री) भगवंत मान ने मुझसे आप में शामिल होने के लिए कहा था, तो इसका मकसद राज्यसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व करना और खेलों से जुड़े मुद्दे उठाना था। मैंने तभी साफ कर दिया था कि मै सिर्फ खेलों के बारे में बात करूंगा और राजनीति पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि यह मेरा काम नहीं है। उन्होंने कहा, मेरे आप से जुड़ने की एकमात्र वजह यह थी कि इससे मुझे न सिर्फ पंजाब में, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलों को बढ़ावा देने का मौका मिल रहा था। लेकिन जब मैंने अपने विचार रखने की कोशिश की, तो पार्टी में मेरी बात नहीं सुनी गई। मेरे विचार बस विचार ही बनकर रह गए। हरभजन ने कहा कि पार्टी के सामने अपना नजरिया रखने की तमाम कोशिशों के बावजूद लगातार दरकिनार किए जाने से आखिरकार वह तंग आ गए। उन्होंने कहा, ...मै जिस काम के लिए आप में शामिल हुआ था, वह हो ही नहीं रहा था। अगर मेरे सुझाए रास्ते पर एक छोटा-सा कदम भी उठाया गया होता तो मै पार्टी नहीं छोड़ता। लेकिन पार्टी में शामिल होने का मेरा मकसद ही पूरा नहीं हो रहा था। इसीलिए मैने पार्टी छोड़ दी, क्योंकि मेरे सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। आप ने अपने छह राज्यसभा सदस्यों के भाजपा में शामिल होने के घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पाला बदलने वाले सांसदों पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया था। हरभजन के आवास के बाहर जबरदस्त विरोध-प्रदर्शन हुआ था, जिसमें उनका पुतला फूंका गया था। इस घटना के बारे में पूछे जाने पर हरभजन ने कहा कि वह किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि यह समझना आसान है कि प्रदर्शनकारी कौन थे। पूर्व क्रिकेटर ने कहा, हर कोई जानता है कि वे लोग कौन थे और कहां से आए थे, मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इस देश के लोग मुझे मेरे क्रिकेट के लिए जानते है और उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, ऐसे में वे मेरा पुतला क्यों जलाएंगे या मेरे घर के बाहर गद्दार क्यों लिखेंगे? मैंने किसके साथ गद्दारी की? उन्होंने कहा, मेरा उनसे (आप) सवाल है कि पंजाब के लोगों से किए गए बड़े-बड़े वादों का क्या हुआ? आपने पंजाब के लिए क्या किया? यहां गद्दार कौन है? और क्या आपने मुझसे पूछा कि मैंने जो किया, वह क्यों किया? सिर्फ इसलिए कि आप मुझे गद्दार कहते है, मै गद्दार नहीं बन जाता। और न ही आपके कहने से मै चोर बन जाता हूं।

हरभजन ने कहा, ...मेरा दिल भारत और पंजाब के लिए धड़कता है। अपनी मातृभूमि के लिए मेरे मन में जो प्यार है, उसे किसी और से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। इसलिए जो लोग कुछ कहना चाहते है, वे कहते रहें, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इन सब बातों से अपना ध्यान विचलित होने दूंगा, तो मै काम नहीं कर पाऊंगा।

PUBLIC NOTICE

It is informed to the public at large that my clients Sh. Phool Singh S/o Shri Surtiya and Smt. Rama Devi W/o Phool Singh R/o D-1/21/1, Khasra No. 35/17, Temp Brahm Puri, Phase-1, Nangloi, West Delhi-110041, have disowned their daughter Tamanna from their movable and immovable properties and severed their all relations from her including social, economical and legal due to her egoistic behavior, misbehavior, assuasive, and quarrelsome nature and damaging reputation in neighbor, relatives and friends by eloping with the brother of her bhabi Sonam. Any dealing with her shall be doing so at their own risk and responsibility. My clients shall not be liable/responsible for any act done by her in any manner whatsoever. **S.B. Sharma,** Advocate, Chamber No. 556, Dwarka Court Complex, Sector-10, Dwarka, New Delhi - 110075

PUBLIC NOTICE

This is to inform the general public at large that my clients Ajaz Malik S/o Bundu Khan and Sabra Malik W/o Ajaz Malik, both R/o H. No.-A-110, Gali No. 1/5, Indra Vihar, Gokal Puri, Delhi-110094 have severed all their relations with their son Arshad who is residing separately for last many years. His behavior towards my clients have turned hostile and due to his misconduct, errant, quarrelsome behavior & non-cooperative attitude, my clients do hereby disown and debar him from their all movable and immovable properties. Any person dealing with him, shall deal with his own risk, responsibility & my clients shall not be responsible for his any act, deal or transaction, in any manner. **Absar Ahmad,** Advocate, Chamber No.-F-501, Karkardooma Courts, Shahdara, Delhi-110032.

उत्तर मध्य रेलवे

खुली निविदा सूचना सं: JHSW-M-S-CTRB-2026-27-9 दिनाक: 12.08.2026

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अनुभवी या इच्छुक ठेकेदारों से ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

कार्य का नाम : आउटसोर्स के माध्यम से सीटीआरबी व्हील सेटों की आवाजाही और बेयरिंग को उतारने का कार्य।

कार्य की लागत : Rs. 76,91,520.00 /- (18% जीएसटी सहित) | **अग्रिम राशि :** Rs. 1,53,800/-

कार्य पूरा होने का समय : चौबीस महीने / ऑनलाइन टेंडर क्लोजिंग डेट और समय : 07.09.2026 समय 16:00 बजे तक

निविदा और निविदा प्रारूप के बारे में विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। 1862/26 (D)

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @CPRONCR

PUBLIC NOTICE

My client Sh. Hukum Singh S/o Late Mohar Singh R/o M-184, Gali No.13, Shastri Nagar, North West, Delhi-110052 have disowned/debarred their daughter-in-laws (1) Renu W/o Late Pursotam Singh and (2) Alkesh Vimal W/o Late Vimal and their children from all his movable and immovable properties including property No. M-124, Gali No.13, Shastri Nagar, North West, Delhi-110052 and severed all his relations with them, as they are not in control of my client and misbehaves with my client. If anybody deals with them, he/she shall do so at his/her own risk and my client shall not be responsible. **RUPESH KUMAR MISHRA,** Advocate, Ch. No. C-21, 1st Floor, C.L. Joseph Block, Tis Hazari Courts, Delhi-110054.

PUBLIC NOTICE

Be known to the public at large that my clients Sh. Harminder Singh and his wife Smt. Paramjeet Kaur Both R/o B-43, Udhay Vihar, Transefarmer wali Gali, Nilothi, West Delhi, Delhi-110041 have severed all their relations with their son Harnek Singh and his wife Smt. Anusuya Biswas both are residing separately, and my above clients debarred them from their movable and immovable property, since they both do not have any respect for my clients, if any person/s deals with them, do the same at his/her/their own responsible. **Gurusharan Singh**, Advocate, Chamber No. 511, Western Wing, Tis Hazari Court, Delhi-110 054.

NOTICE
INVITATION OF TENDER FOR REGTL SHOPS AT ARMY HOSPITAL (R&R) ON CLOSED BID SYSTEM

1. A closed bid tender is invited from eligible persons for allotment of following regimental shops for welfare of patients, troops and their families at Army Hospital (R&R), Delhi Cantt-10, initially for eleven months and extendable for a period of maximum five years subject to revision of license fee as per the policy in vogue:-
   1.Cycle/Motorcycle repairing Shop and washing point
   Location : Near Coy Location
   2.Fruit and Veg Shop
   Location : Bldg No. P-52
2. Priority of allotment will be given to the following categories of eligible applicants in the order as mentioned through a closed bid system:-
(a) Widows of defence personnel who have died while in service (including widows of all types of Battle Casualty and Physical Casualty of defence personnel).
(b) Disabled soldier.
(c) Ex-serviceman
(d) Spouses/widows of ex-serviceman

Note: Subletting will not be allowed.
Applicants more then 60 years old are not eligible.

3. Application form can be obtained from Main Office, Army Hospital (R&R) from 1000 hrs to 1300 hrs within 07 days of publication of this notice in newspaper.
4. Eligible volunteers may submit their application alongwith self attested copy of discharge book/documents/PPO within 15 days of publication of the advertisement addressed to "The Commandant, Army Hospital (R&R) Delhi Caritt-110010" in a sealed envelope or drop in Tender Box kept at Main Office under surveillance of CCTV. Allotment will be done on recommendation of a board of officers and intimation will be given to the allottee accordingly.

Note:-
1. Applicants who are already in possession of Regti shop in any locations or had licence within last three years are not eligible to apply.
2. Bid in open envelope/without envelope/with over writing will not be accepted.
3. Applicant will attach Rs 200.00 (Rupees two hundred caly) Demand Draft in favour of Regimental Fun Aic of Com as processing fee which will be non-refundable.

Brig I/C Adm & Cdr Tps
Army Hospital (R&R)
for Comdt

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा **82 Cr.PC.** देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त, **कासिम, पुत्रः** यामीन, **पताः** बी–ब्लॉक, जेजे कॉलोनी, बवाना, दिल्ली, ने **FIR No.: 19640/2019, U/s: 379/411 IPC, थानाः बवाना, दिल्ली,** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त, **कासिम,** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त, **कासिम,** फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **FIR No.: 19640/2019, U/s: 379/411 IPC, थानाः बवाना, दिल्ली,** के उक्त अभियुक्त, **कासिम,** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **16.12.2026** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
सुश्री भारती बेनीवाल
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी–05,
कमरा नं. 114, उत्तरी जिला, प्रथम तल
रोहिणी कोर्ट, दिल्ली

DP/11260/ON/2026 (Court Matter)

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 CrPC देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **बिजेन्द्र कुमार पुत्र श्री गंगा राम निवासी गांव सराय अलवरदी, सराय रेलवे फाटक के पास, पोस्ट पालम विहार, गुरुग्राम, हरियाणा** ने **FIR No. 340/19 U/S 279 IPC, अन्तर्गत थाना पश्चिम विहार वेस्ट, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **बिजेन्द्र कुमार** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **बिजेन्द्र कुमार** फरार हो गया है (या उक्त वारंट के तामील से बचने के लिये खुद को छिपा रहा है)।

अतः इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि **FIR No. 340/19 U/S 279 IPC, अन्तर्गत थाना पश्चिम विहार वेस्ट, दिल्ली** के उक्त अभियुक्त **बिजेन्द्र कुमार** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **14.09.2026** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार,
श्री अंकित करण सिंह
मेट्रोपॉलिटन दण्डाधिकारी–08 (पश्चिम)
कमरा संख्या 30
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली

DP/11291/OD/2026(Court Matter)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 सीआरपीसी/84 बीएनएसएस देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **शेख सिनबाद पुत्रः शेख मनन पताः सी–203, जहांगीरपुरी, दिल्ली** ने case **FIR No. 921/2021 U/s 25/54/59 Arms Act, थानाः जहांगीरपुरी, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **शेख सिनबाद** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **शेख सिनबाद** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है।)

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि case **FIR No. 921/2021 U/s 25/54/59 Arms Act, थानाः जहांगीरपुरी, दिल्ली** के उक्त अभियुक्त **शेख सिनबाद** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद/मुकदमा का उत्तर देने के लिए **दिनांक 26.09.2026** को या उससे पूर्व हाज़िर हो।

आदेशानुसार
श्री साहिल गुप्ता
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी–07
उत्तर, कोर्ट नं. 6, भूतल
रोहिणी कोर्ट, दिल्ली

DP/11172/NW/2026 (Court Matter)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr. P.C./ 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता देखें

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **शेख हाफिजुल** पुत्रः शेख राजाबुल, **निवासः** झुग्गी नं. 415, सी.डी. पार्क, जहांगीरपुरी, दिल्ली ने **FIR No. 422/2020 U/s 380/411/454/34 IPC., थानाः महेन्द्रा पार्क, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **शेख हाफिजुल** मिल नही रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **शेख हाफिजुल** फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **FIR No. 422/2020 U/s 380/411/454/34 IPC., थानाः महेन्द्रा पार्क, दिल्ली** के उक्त अभियुक्त **शेख हाफिजुल** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **13.10.2026** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
अमरदीप कौर
ऐसीजेएम (उत्तर), कमरा नं. 117
रोहिणी कोर्ट, दिल्ली

DP/11128/NW/2026 (Court Notice)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(धारा 82 सीआरपीसी/84 भा.न.स.स.देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **सन्नोज** पुत्र मुंशी सिंह निवासी बी-530 गोला कुआँ तेहखंड गाँव, ओखला फेज-1, नई दिल्ली ने **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 325/2020 धारा 33/58 दिल्ली आबकारी अधिनियम और 5/180 एम.वी. अधिनियम, थाना ओखला औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है की किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह कह कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **सन्नोज** मिल नहीं रहा और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है की उक्त अभियुक्त **सन्नोज** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। इस लिए इस के द्वारा उद्घोषणा कि जाती है की उक्त अभियुक्त **सन्नोज, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 325/2020 धारा 33/58 दिल्ली आबकारी अधिनियम और 5/180 एम.वी. अधिनियम, थाना ओखला औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली** न्यायालय के समक्ष या मेरे समक्ष उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **14.09.2026** को या उससे पहले हाजिर हो।

आदेश से
सुश्री आकांक्षा गौतम
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी-02
दक्षिण-पूर्व, कमरा नंबर 513
साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली

DP/11200/SE/2026

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(धारा 82(2) (ii) Cr.P.C./84 BNSS देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **संदीप उर्फ छत्री पुत्र संजय निवासी झुग्गी नंबर 402, मीरा बाग, पश्चिम विहार, बाहरी जिला, दिल्ली** ने कोर्ट केस **एफआईआर नं. 497/20, अंतर्गत धारा 392/411 आईपीसी, थाना विकासपुरी, पश्चिमी जिला, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **संदीप उर्फ छत्री** मिल नही रहा है, और मुझे सामाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **संदीप उर्फ छत्री** फरार हो गया हैं (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा हैं) इसलिए इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि कोर्ट केस **एफआईआर नं. 497/20, अंतर्गत धारा 392/411 आईपीसी, थाना विकासपुरी, पश्चिमी जिला, दिल्ली** के उक्त अभियुक्त **संदीप उर्फ छत्री** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **21.09.2026** को या उससे पहले हाजिर हों।

आदेशानुसार
श्री विनोद कुमार
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी–05
दक्षिण पश्चिम जिला, कक्ष सं. 09
द्वारका न्यायालय, नई दिल्ली

DP/11242/WD/2026 (Court Matter)

सर्वस्व कैपिटल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 27/1 ए, पहली मंजिल, जेल रोड, अशोक नगर (डबल स्टोरी) नई दिल्ली-110018

सोने के आभूषणों की नीलामी सूचना

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लेखित कार्यालय और शाखा ख्याला - विष्णु गार्डन, नई दिल्ली के साथ निम्नलिखित स्वर्ण ऋण खातों में गिरवी रखे गए सोने के आभूषण, जो मोचन के लिए अतिदेय हैं और जिन्हें बार-बार नोटिस के बावजूद अब तक भुनाया/नियमित नहीं किया गया है, इनको कार्यालय/शाखा में 31-08-2026, सोमवार को दोपहर 01.00 बजे नीलामी/बिक्री के लिए रखा जाएगा। जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

स्थान: सर्वस्व कैपिटल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड 27/1 ए, पहली मंजिल, जेल रोड, अशोक नगर (डबल स्टोरी) नई दिल्ली-110018

नाम	खाता संख्या
01.सुश्री प्रीति	SCFLG00410437
02.श्री अमित भाटी	SCFLG00410028
03.श्री मोक्ष वर्माणी	SCFLG00410937
04.श्री हरिओम सिंह	SCFLG00411139
05.श्री हरिओम सिंह	SCFLG00411141
06.श्री अक्षत पांडे	SCFLG0049042
07.श्री हरदीप सिंह	SCFLG0058116
08.श्री हसीबुल हसन	SCFLG0057348

नियम/शर्तें: बोलीदाताओं को वैध आईडी कार्ड/पैन कार्ड/जीएसटीएन लाना होगा। ईएमडी राशि रुपये 50,000-00 नीलामी की तिथि पर जमा करने होंगे।

गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की बिक्री "जैसा है, जहां है और, जैसा है जो है" के आधार पर होगी।

*सर्वस्व कैपिटल फाइनेंस प्रा. लि. के पास नीलामी बिक्री की प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय बोलीदाताओं को कोई कारण बताए बिना किसी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने और नीलामी को स्थगित/वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है।

सार्वजनिक नीलामी बिक्री की अनुपस्थिति/विफलता/रद्दीकरण की स्थिति में उधारकर्ता के कहने पर, गिरवी रखे गए गहनों को निजी बिक्री के माध्यम से बेचने का अधिकार भी सर्वस्व कैपिटल फाइनेंस प्रा. लि. के पास सुरक्षित है।

स्थान: नई दिल्ली — अधिकृत अधिकारी
दिनांक: 14.08.2026 — सर्वस्व कैपिटल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

अशनूर टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः बेहरामपुर रोड, खांडसा गांव, गुरूग्राम, हरियाणा–122001, भारत, फोनः +91 (0124) – 4809756
सीआईएनः L17226HR1984PLC033384 | ई–मेलः atml_delhi@yahoo.com | वेबसाइटः www.ashnoortex.com

30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए	31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के लिए	30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए
		(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1	परिचालनों से कुल आय (निवल)	4,247.52	2,207.50	4,207.28	11,361.35
2	अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि) (कर, अपवादात्मक और / या अतिविशिष्ट मदों से पूर्व)	1,186.46	136.77	617.93	1,077.14
3	कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि) (अपवादात्मक और / या अतिविशिष्ट मदों के बाद)	1,186.46	136.37	617.93	1,076.74
4	कर पश्चात अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि) (अपवादात्मक और / या अतिविशिष्ट मदों के बाद)	990.51	147.45	463.90	848.25
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ / (हानि) (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात शामिल)	990.51	147.45	463.90	848.25
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	1,593.23	1,593.23	1,593.23	1,593.23
7	आरक्षित (पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाये गये पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)	-	7,894.51	-	7,894.51
8	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	558.65	558.65	558.65	558.65
9	निवल मूल्य	10,478.25	9,487.74	9,103.38	9,487.74
10	प्रदत्त ऋण पूंजी / बकाया ऋण	0.27	0.29	0.27	0.29
11	बकाया विमोचनीय प्रीफरेंस शेयर	-	-	-	-
12	ऋण इक्विटी अनुपात	0.56	0.59	0.64	0.59
13	प्रति शेयर अर्जन (रु. 10 / – प्रत्येक) (अतिविशिष्ट मदों से पूर्व एवं बाद)				
	1. मूलः	6.22	0.93	2.91	5.32
	2. डायल्यूटिडः	6.22	0.93	2.91	5.32
14	पूंजी विमोचन आरक्षित	-	-	-	-
15	डिबेंचर विमोचन आरक्षित	-	-	-	-
16	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	6.83	1.17	2.26	1.49
17	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात	13.63	2.50	5.61	3.59

टिप्पणीः 30 जून 2026 को समाप्त तिमाही के लिए उपरोक्त एकल वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 के नियम 3 और कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) संशोधन नियम, 2016 के तहत निर्धारित भारतीय लेखाकरण मानक (इंड–एएस) के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

उपरोक्त सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट bseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट www.ashnoortex.com पर उपलब्ध हैं।

कृते निदेशक मंडल के आदेशानुसार
अशनूर टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड
हस्ता. / –
सुनील गुप्ता
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 00052084

स्थानः गुरूग्राम, हरियाणा
दिनांकः 12.08.2026

यूनिटेक लिमिटेड unitech

CIN: L74899DL1971PLC009720
पंजी. कार्यालयः 6, कम्युनिटी सेंटर, साकेत, नई दिल्ली – 110017
टेली: 011-26857338
ई–मेल: share.dept@unitechgroup.com | वेब: www.unitechgroup.com

30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए अ–लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (एकल और समेकित) का विवरण

कंपनी के निदेशक मण्डल ने 13 अगस्त, 2026 को हुई अपनी बैठक में, 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए अ–लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (एकल और समेकित) का अनुमोदन कर दिया है। निवेशक वित्तीय परिणाम और साथ में लेखापरीक्षक की समीक्षा रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट https://www.unitechgroup.com/investor-relations/financial.asp और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों www.bseindia.com और www.nseindia.com से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय परिणाम यहां पर उपलब्ध कराए गए क्विक रिस्पॉन्स कोड (क्यूआर) स्कैन करके भी प्राप्त किये जा सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए कृपया स्कैन करें

टिप्पणः उपर्युक्त सूचना सेबी (सूचीकरण उत्तरदायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47(1) के साथ पठित विनियम 33 के अनुरूप प्रदान की गई है।

कृते **यूनिटेक लिमिटेड**
हस्ता/-
डॉ. गिरीश कुमार आहूजा
निदेशक

स्थानः गुरूग्राम
दिनांकः 13 अगस्त, 2026

DASTI SUMMON
IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

Notice under Order V Rule 20 Code of Civil Procedure
CM (M) 2228/2024 & CM NO. 18739/2024
Petition under Article 227 of the Constitution of India against the order Dt. 22/11/2022, 24/04/2023 & 25/11/2023 passed by Mr. Sunil Chaudhary, ADJ-04, North West, Rohini Courts, Delhi in CS DJ No. 165/2020.

UNION BANK OF INDIA
VS
SAT NARAIN MITTAL & ANR.

To,
Mr. Bhanu Prasad Sah S/o Sh. Shripat Sah, R/o 526, 2nd Floor, Krishi Apartment, Block-D, Vikaspuri, New Delhi-110018.

Whereas the above noted petitioner has presented a petition under Article 227 of the Constitution of India which was listed before the court on **28/03/2024** and the Court ordered issuance of notice to you. And whereas it has been proved to the satisfaction of the Court that you cannot be served in the ordinary manner. Notice is hereby issued that if you wish to defend the above mentioned petition you may cause an appearance to be entered on your behalf either in person or through an advocate duly appointed by you for the purpose before the Court of Joint **Registrar (Judl.) on 01/09/2026 (actual) at 11.00 a.m.**

If no appearance is made on your behalf, by yourself, your pleader or someone by law authorized to act for you in the said petition on the aforementioned date, no further notice of the subsequent date of hearing of the said petition will be given and the same will be heard and determined ex-party in your absence.

Given under my hand and the seal of this Court, this the **24th day of July, 2026.**

SEAL

Sd/-
Assistant Registrarfor
Registrar General

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्ता **सुनीता देवी, पत्नीः** सुनील केवट, **निवासीः** म.नं. ई–4, पुराना नं. 420/बी, गाजीपुर, दिल्ली; एवं ई–48, 420बी, गाजीपुर, दिल्ली ने मुकदमा **FIR No. 148/2021, U/s 356/379/411/34 IPC, थानाः राजिन्द्र नगर, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्ता **सुनीता देवी** मिल नहीं रही है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्ता **सुनीता देवी** फरार हो गयी है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रही है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि मुकदमा **FIR No. 148/2021, U/s 356/379/411/34 IPC, थानाः राजिन्द्र नगर, दिल्ली** की उक्त अभियुक्ता **सुनीता देवी** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **18.11.2026** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
सुश्री प्रीति
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी–03 (केंद्रीय)
कमरा नं. 150, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

DP/11123/CD/2026 (Court Matter)

वैधानिक सूचना: पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया से पहले विज्ञापन में प्रकाशित किसी उत्पाद या सेवा के बारे में पूरी तरह उपयुक्त जांच-पड़ताल कर लें। यह समाचार पत्र उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता। समाचार पत्र उपरोक्त विज्ञापनों के बारे में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।